

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4236

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024/29 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की उपलब्धता एवं वहनीयता

4236. श्री कंवर सिंह तंवर:

श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

श्री आलोक शर्मा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में घरेलू उत्पादन और उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए हैं और यदि हां, तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्तमान कृषि परिदृश्य में उर्वरकों की उपलब्धता और वहनीयता के संबंध में किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) उर्वरक उत्पादन बढ़ाने और कृषि आवश्यकताओं के लिए निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने की सरकार की कार्यनीति में सरकारी-निजी भागीदारी की भूमिका क्या है और किस तरह से इन साझेदारियों से किसानों को, विशेष रूप से कृषि उत्पादकता और किसान की आजीविका के लिए अपेक्षित परिणाम सहित, लाभ मिलेगा;
- (घ) आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उर्वरक उद्योग में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ङ) राजसहायता संबंधी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कितनी निधियां आवंटित और खर्च की गई हैं; और
- (च) उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए तकनीक और डिजिटलीकरण के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (घ): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स

लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामतः गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमशः उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-III। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित की गई हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कार्यकुशल हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अतः, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान हुई 207.54 एलएमटीपीए की कुल यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़कर वर्तमान में 283.74 एलएमटीपीए हो गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से वर्ष 2014-15 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में यूरिया का 20-25 एलएमटीपीए तक अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

इन सभी उपायों की मदद से वर्ष 2014-15 के दौरान यूरिया उत्पादन 225 एलएमटी प्रतिवर्ष के स्तर से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान यूरिया उत्पादन रिकार्ड 314.07 एलएमटी हुआ।

पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने फास्फेटयुक्त एवं पोटेशियुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित सब्सिडी नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्व मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। पीएण्डके क्षेत्र विनियंत्रित है और उर्वरक कंपनियां बाजार की गतिशीलता के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन/आयात करती हैं। भारत में उर्वरकों के घरेलू उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार ने शीरे से प्राप्त पोटेश (पीडीएम), जो 100% स्वदेशी रूप से विनिर्मित उर्वरक है, को पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित किया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है -

(एलएमटी में)

वर्ष	यूरिया	पीएण्डके
2021-22	250.72	185.23
2022-23	284.94	200.35
2023-24	314.07	189.26

वर्तमान रबी 2024-25 और खरीफ 2024 मौसम के दौरान उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार उपलब्धता **अनुलग्नक-1** में दी गई है।

(ख): यूरिया सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत, किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 कि.ग्रा. बोरी की एमआरपी 242 रुपये प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभार और लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को

भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को यूरिया की आपूर्ति सब्सिडी प्राप्त दरों पर की जा रही है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के तहत, प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी तय की जाती है और पीएण्डके उर्वरकों के लिए वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर एनबीएस दरें तय करते समय कीमतों में उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, को शामिल किया जाता है। खरीफ 2024 के दौरान, डीएपी के संबंध में प्रति मीट्रिक टन सब्सिडी ₹21676 थी जबकि रबी 2024-25 के दौरान, डीएपी के संबंध में प्रति मीट्रिक टन सब्सिडी ₹21911 तय की गई है। इसके अतिरिक्त, किसानों को वहनीय कीमतों पर डीएपी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आवश्यकता के आधार पर एनबीएस सब्सिडी दरों के अतिरिक्त डीएपी पर विशेष पैकेज प्रदान किए हैं। वर्ष 2024-25 में, सरकार ने किसानों को वहनीय कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र एवं संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने एवं देश में खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को सुदृढ़ करने के लिए लगभग ₹2625 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के साथ पीएण्डके उर्वरक कंपनियों को ₹3500 प्रति मीट्रिक टन की दर पर 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए डीएपी की वास्तविक पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) बिक्री पर एनबीएस दरों के अतिरिक्त डीएपी पर एक-बारगी विशेष पैकेज को मंजूरी दी है।

साथ ही, देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

- i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।
- ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।
- iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;
- iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित रूप से साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों के प्रेषण हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- v. उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम में किए जाने वाले आयात को भी पहले से ही सुनिश्चित किया जाता है।

(ग): वर्तमान में, ऐसी कोई विशिष्ट सार्वजनिक-निजी भागीदारी नहीं है।

(ड): वर्ष 2023-24 के दौरान सब्सिडी स्कीमों के माध्यम से किसानों को वहनीय कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आबंटित और खर्च की गई धनराशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रु.में)

स्कीम	आबंटन	व्यय
पीएंडके उर्वरक	65,200.00	65,199.57
यूरिया	1,30,221.00	1,30,220.93
ऑर्गेनिक उर्वरकों के लिए एमडीए	5.00	0.00
कुल	1,95,426.00	1,95,410.51

(च): जून 2016 में सफलतापूर्वक शुरू की गई एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) एक व्यापक सर्वसमावेशी प्रणाली है जोकि आपूर्ति श्रृंखला सहित उर्वरक वितरण प्रणाली के सभी कार्यकलापों को सम्मिलित करती है। एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली में कई मॉड्यूल और पूरे देश में उर्वरकों की निगरानी, आपूर्ति और उपलब्धता के लिए एक उर्वरक डैशबोर्ड है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को उनसे संबंधित लॉगिन के माध्यम से उर्वरक डैशबोर्ड तक पहुंच दी गयी है। सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों को उर्वरकों की खुदरा दुकानों पर आईएफएमएस एकीकृत बिक्री केन्द्र (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से बेचा जा रहा है। क्रेताओं की पहचान आधार कार्ड प्रमाणीकरण के माध्यम से की जाती है।

20.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारंकित प्रश्न सं. 4236 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

रबी 2024-25 (01.10.2024 से 16.12.2024 तक) के लिए राज्यवार उर्वरक स्थिति

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं	राज्य	यूरिया					डीएपी				
		रबी 2024-25 के लिए आवश्यकता	16.12.2024 तक यथानुपातिक आवश्यकता	16.12.2024 तक उपलब्धता	16.12.2024 तक डीबीटी बिक्री	16.12.2024 तक अंतिम स्टॉक	रबी 2024-25 के लिए आवश्यकता	16.12.2024 तक यथानुपातिक आवश्यकता	16.12.2024 तक उपलब्धता	16.12.2024 तक डीबीटी बिक्री	16.12.2024 तक अंतिम स्टॉक
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	9.40	3.06	5.99	3.23	2.76	2.00	0.95	1.81	1.25	0.55
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.65	0.85	1.40	0.70	0.70	0.25	0.13	0.28	0.19	0.10
5	बिहार	13.00	6.30	8.71	4.61	4.10	3.00	2.11	3.20	2.38	0.82
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	2.40	1.51	2.06	0.60	1.46	0.70	0.50	0.56	0.27	0.29
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.15	0.00	0.14	0.10	0.04	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00
11	गोवा	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	13.75	7.35	7.70	5.83	1.87	2.75	1.95	2.57	2.08	0.49
13	हरियाणा	11.20	6.45	9.14	7.31	1.84	2.60	2.35	2.59	2.38	0.21
14	हिमाचल प्रदेश	0.37	0.14	0.23	0.09	0.14	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01
15	जम्मू और कश्मीर	0.70	0.11	0.46	0.11	0.34	0.25	0.08	0.25	0.11	0.13
16	झारखंड	1.00	0.48	1.25	0.48	0.77	0.25	0.20	0.34	0.22	0.12
17	कर्नाटक	6.50	2.84	6.34	2.86	3.48	1.74	0.82	1.20	0.82	0.38
18	केरल	0.57	0.31	0.49	0.36	0.13	0.07	0.03	0.08	0.07	0.01
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	20.00	15.58	16.75	12.76	3.98	8.00	6.40	6.10	4.74	1.36
21	महाराष्ट्र	10.00	3.34	9.67	4.37	5.29	2.50	1.01	2.01	1.31	0.71
22	मणिपुर	0.10	0.04	0.02	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.01	0.00	0.07	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	1.85	0.48	1.89	0.56	1.33	0.70	0.18	0.43	0.21	0.22
27	पुदुचेरी	0.09	0.04	0.05	0.04	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
28	पंजाब	15.00	9.93	11.44	8.24	3.20	4.50	4.30	3.58	3.20	0.38
29	राजस्थान	15.00	11.05	12.16	10.14	2.03	3.00	2.83	3.24	2.93	0.31
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	6.00	3.56	5.05	3.24	1.81	1.30	0.76	1.17	0.80	0.38
32	तेलंगाना	9.80	4.28	6.03	2.11	3.91	1.50	0.78	1.10	0.62	0.49
33	त्रिपुरा	0.10	0.03	0.11	0.03	0.09	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
34	उत्तराखंड	1.03	0.44	0.63	0.41	0.22	0.15	0.12	0.27	0.18	0.09
35	उत्तर प्रदेश	39.00	17.16	27.92	14.78	13.14	15.00	12.16	11.66	9.64	2.01
36	पश्चिम बंगाल	8.20	3.31	6.38	2.57	3.82	1.75	0.84	1.30	0.87	0.43
संपूर्ण भारत		186.89	98.66	142.11	85.59	56.51	52.05	38.53	43.83	34.32	9.51

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री

क्र.सं	राज्य	एमओपी					एनपीकेएस				
		रबी 2024-25 के लिए आवश्यकता	16.12.2024 तक यथानुपातिक आवश्यकता	16.12.2024 तक उपलब्धता	16.12.2024 तक डीबीटी बिक्री	16.12.2024 तक अंतिम स्टॉक	रबी 2024-25 के लिए आवश्यकता	16.12.2024 तक यथानुपातिक आवश्यकता	16.12.2024 तक उपलब्धता	16.12.2024 तक डीबीटी बिक्री	16.12.2024 तक अंतिम स्टॉक
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.80	0.43	1.05	0.41	0.64	9.00	4.40	7.50	4.66	2.84
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.28	0.16	0.20	0.06	0.13	0.35	0.20	0.22	0.12	0.11
5	बिहार	1.15	0.85	1.81	0.91	0.90	4.00	3.19	3.49	2.42	1.08
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	0.15	0.09	0.34	0.05	0.28	0.60	0.38	0.52	0.15	0.37
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	0.64	0.43	0.67	0.41	0.26	4.00	2.39	3.92	2.83	1.08
13	हरियाणा	0.30	0.13	0.39	0.13	0.26	1.20	0.70	0.74	0.61	0.13
14	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.02	0.02	0.00	0.01	0.21	0.12	0.16	0.09	0.07
15	जम्मू और कश्मीर	0.13	0.03	0.04	0.01	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
16	झारखंड	0.03	0.02	0.03	0.01	0.02	0.30	0.25	0.31	0.16	0.15
17	कर्नाटक	0.65	0.31	1.18	0.43	0.75	6.30	2.41	6.93	3.66	3.27
18	केरल	0.40	0.23	0.49	0.28	0.21	0.60	0.32	0.62	0.43	0.18
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	0.60	0.35	0.92	0.44	0.48	6.00	4.02	5.42	4.40	1.02
21	महाराष्ट्र	1.00	0.36	1.34	0.42	0.92	12.00	5.08	9.30	4.89	4.42
22	मणिपुर	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	0.25	0.07	0.36	0.06	0.30	0.75	0.20	0.79	0.22	0.57
27	पुदुचेरी	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04	0.02	0.05	0.02	0.02
28	पंजाब	0.50	0.33	0.54	0.22	0.32	1.50	1.25	1.00	0.79	0.21
29	राजस्थान	0.10	0.06	0.16	0.10	0.07	1.50	1.34	1.67	1.43	0.24
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	1.20	0.64	1.16	0.54	0.63	6.00	3.34	3.73	2.47	1.26
32	तेलंगाना	0.70	0.33	0.59	0.19	0.40	7.00	3.17	4.60	2.26	2.34
33	त्रिपुरा	0.02	0.00	0.05	0.01	0.04	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01
34	उत्तराखंड	0.05	0.04	0.06	0.01	0.05	0.20	0.13	0.10	0.08	0.02
35	उत्तर प्रदेश	1.25	0.95	1.65	0.98	0.67	8.50	7.02	7.20	5.86	1.34
36	पश्चिम बंगाल	1.70	0.81	1.77	0.69	1.08	7.00	4.21	5.31	2.88	2.43
संपूर्ण भारत		11.95	6.66	14.84	6.37	8.47	77.10	44.15	63.60	40.43	23.16
1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता											
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री											

खरीफ 2024 के लिए उर्वरकों की राज्यवार स्थिति									
आंकड़े एलएमटी में									
		यूरिया				डीएपी			
क्र.सं	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	अंतिम स्टॉक
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	6.50	8.72	6.32	2.40	2.30	2.54	2.01	0.52
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.63	2.60	1.93	0.67	0.36	0.40	0.26	0.14
5	बिहार	9.87	14.01	10.41	3.60	2.50	2.58	1.78	0.80
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	6.50	8.63	7.20	1.44	3.40	3.13	2.89	0.29
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.08	0.22	0.18	0.04	0.01	0.02	0.02	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	11.85	13.13	10.73	2.40	3.50	3.22	2.61	0.61
13	हरियाणा	10.30	14.04	10.05	3.98	3.20	3.14	2.60	0.54
14	हिमाचल प्रदेश	0.34	0.46	0.35	0.12	0.01	0.02	0.01	0.01
15	जम्मू और कश्मीर	0.78	1.13	0.75	0.39	0.24	0.28	0.17	0.11
16	झारखंड	1.65	2.63	2.02	0.60	0.65	0.55	0.42	0.12
17	कर्नाटक	10.75	15.13	11.55	3.58	3.90	4.38	3.87	0.58
18	केरल	0.54	0.73	0.52	0.21	0.10	0.13	0.10	0.03
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	15.38	23.06	17.57	5.49	8.57	6.78	5.75	1.05
21	महाराष्ट्र	13.73	21.67	15.54	6.14	5.00	4.63	3.96	0.82
22	मणिपुर	0.16	0.13	0.10	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00
23	मेघालय	0.02	0.03	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.11	0.10	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	4.20	6.01	4.75	1.26	2.16	2.02	1.79	0.24
27	पुदुचेरी	0.08	0.08	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
28	पंजाब	11.50	21.02	17.27	3.75	3.60	3.74	2.75	0.98
29	राजस्थान	11.20	14.94	10.58	4.36	5.50	4.11	3.57	0.54
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	4.91	6.35	4.43	1.93	1.40	1.46	1.01	0.44
32	तेलंगाना	10.40	12.89	9.66	3.23	2.40	2.53	2.17	0.35
33	त्रिपुरा	0.08	0.19	0.07	0.11	0.03	0.01	0.01	0.00
34	उत्तराखंड	1.00	1.54	1.29	0.25	0.15	0.29	0.16	0.14
35	उत्तर प्रदेश	38.00	52.50	39.00	13.51	9.05	10.43	7.02	3.41
36	पश्चिम बंगाल	5.60	10.13	6.64	3.51	1.80	1.62	1.13	0.49
संपूर्ण भारत		177.12	252.10	189.12	63.02	59.87	58.08	46.12	12.23
1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता									
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री									

खरीफ 2024 के लिए उर्वरकों की राज्यवार स्थिति									
क्र.सं	राज्य	एमओपी				एनपीकेएस			
		आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	अंतिम स्टॉक
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.70	1.11	0.69	0.43	7.00	9.84	5.88	3.99
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.19	0.36	0.28	0.09	0.20	0.34	0.19	0.15
5	बिहार	0.35	0.78	0.33	0.45	2.00	4.06	2.12	1.94
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	0.58	0.84	0.59	0.25	1.20	2.20	1.80	0.35
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.02	0.00
12	गुजरात	0.35	0.64	0.26	0.38	3.00	5.68	3.86	1.83
13	हरियाणा	0.30	0.56	0.26	0.30	0.50	0.77	0.34	0.43
14	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.02	0.01	0.01	0.16	0.19	0.13	0.06
15	जम्मू और कश्मीर	0.09	0.10	0.07	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00
16	झारखंड	0.03	0.04	0.02	0.02	0.35	0.66	0.50	0.17
17	कर्नाटक	1.30	1.89	1.24	0.67	9.90	17.06	12.17	4.81
18	केरल	0.42	0.50	0.38	0.12	0.77	0.96	0.61	0.35
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	0.45	1.05	0.44	0.60	2.50	7.09	4.73	2.33
21	महाराष्ट्र	1.30	2.23	1.13	1.10	18.00	24.98	18.34	6.48
22	मणिपुर	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	0.60	0.71	0.55	0.16	2.00	3.05	2.42	0.64
27	पुदुचेरी	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.06	0.03	0.03
28	पंजाब	0.50	0.69	0.34	0.35	1.00	1.03	0.44	0.59
29	राजस्थान	0.11	0.15	0.08	0.07	0.75	1.66	0.99	0.68
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	1.04	1.11	0.74	0.37	4.54	5.57	3.54	2.03
32	तेलंगाना	0.60	0.74	0.48	0.25	10.00	11.22	8.55	2.69
33	त्रिपुरा	0.01	0.06	0.01	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01
34	उत्तराखंड	0.03	0.07	0.01	0.05	0.20	0.14	0.09	0.05
35	उत्तर प्रदेश	0.47	1.53	0.48	1.05	6.00	6.80	3.42	3.40
36	पश्चिम बंगाल	0.80	1.41	0.89	0.52	4.00	8.20	5.28	2.93
संपूर्ण भारत		10.26	16.60	9.27	7.33	74.19	111.66	75.46	35.94